Gram: University
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
☏🖷: 91-(0)512-2580044
🖷: 91-(0)512-2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / COE Camp / 18 / 2021 दिनांकः 11 / 05 / 2021

कार्यालय–आदेश

उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 सी.एस.जे.एम.वि.वि. / COE Camp / 02 / 2021 दिनांक 01 / 05 / 2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों को दिनांक 01 मई, 2021 से दिनांक 15 मई, 2021 तक पूर्णतः बन्द रखने के आदेश निर्गत किए गये थे।

उपरोक्तानुक्रम में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1087 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 10 मई, 2021 द्वारा प्रदान किए गये दिशा–निर्देशों के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार **विश्वविद्यालय परिसर के समस्त कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान तथा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय दिनांक 16 मई, 2021 से दिनांक 20 मई, 2021 तक पूर्णतः बन्द रहेंगे।** आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उक्त अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में कोई छात्र, शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे। इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाएँ भी स्थगित रहेंगी। साथ ही समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवधि में मुख्यालय पर ही रहेंगें तथा बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

साथ ही उक्त अवधि में कुलानुशासक द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का समग्र पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा डा0 प्रवीन कटियार, प्रभारी–हेल्थ केयर सेन्टर द्वारा हेल्थ केयर सेन्टर को खुला रखा जायेगा ताकि कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त अवधि में स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित न हो। डा0 अजय यादव, प्रभारी–साफ–सफाई को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निरन्तर साफ–सफाई एवं सेनिटाइजेशन का कार्य कराया जायेगा तथा अवर अभियंता, सिविल / विद्युत द्वारा आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय परिसर में जरूरी कार्यों का सम्पादन भी कराया जायेगा।

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्रभारी, विश्वविद्यालय परिसर स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थान।
4. समस्त सम्बन्धित शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियत्रंक।
8. सम्बन्धित पत्रावली

कुलसचिव